"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2009—वैशाख 11, शक 1931

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2009

आदेश

क्रमांक/एफ-47/रानिआ/नपा/व्ययलेखा/निरर्हता/05/496.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के तहत आदेश दिया जाता है कि, दिसंबर 2004 में नगरपालिका परिषद्, बीरगांव के अध्यक्ष पद के लिए सम्पन्न निर्वाचन में अभ्यर्थी डॉ. ओमप्रकाश देवांगन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अन्तर्गत निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि की अपेक्षानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण डॉ. ओमप्रकाश देवांगन को इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिए नगरपालिका अध्यक्ष चुने जाने तथा सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.